



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या:-156 / 75 / डी0आर0(कृ0उ0पशु0) / सेवा-1 / 2022-23

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि/उद्यान/पशुपालन विभाग हेतु समेकित (समूह-'ग') परीक्षा-2023 के सापेक्ष अनर्हता सूची दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों को मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार निस्तारित किया गया है:-

विषय-कृषि

SNO	ROLLNO	NAME	Office Note
1	105500	ANJAY SINGH BISHT	अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2024 के साथ संलग्न ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र विज्ञापन अवधि के पश्चात् का होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
2	108302	PRAVIN KUMAR	अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।
3	108428	KANISHKA	अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2024 के साथ संलग्न आख्या दिनांक 09.10.2024 के अनुसार अभ्यर्थी विज्ञापन अवधि में ओ0बी0सी0 श्रेणी के अन्तर्गत आती है। अतः उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अर्ह किया गया है।
4	110111	ATUL PRAKASH	अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन 08.10.2024 में स्नातक उपाधि B.Tech. AGRICULTURAL ENGINEERING (कृषि अभियांत्रिकी) तथा अभ्यर्थी द्वारा धारित M.Tech. AGRICULTURAL ENGINEERING उपाधि संलग्न करते हुए अर्ह किये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त उपाधियों के संबंध में पूर्व में ही विषय-विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ कोई नवीन अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

SNO	ROLLNO	NAME	Office Note
5	113369	APOORVA NAUTIYAL	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2024 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड राज्य का ओबीसी प्रमाण पत्र विज्ञापन अवधि के पश्चात् का होने के कारण मान्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी ओबीसी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है जो कि विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>
6	113435	KISHOR KUMAR MANDAL	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।</p>
7	108593	SUMIT KUMAR	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2024 के साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो विज्ञापन के अनुसार मान्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अर्ह किया गया है।</p>
8	107604	ABINASH KUMAR PATEL	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।</p>

विषय-जीव विज्ञान

SNO	ROLLNO	NAME	Office Note
1	103545	HARI KRISHANA	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।</p>
2	106871	MUKUL KUMAR	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करता है।</p> <p>अतः मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह किये जाने के पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>
3	110423	NEERU PANT	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता संबंधित प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें अभ्यर्थी की दिव्यांगता की उपश्रेणी PH(OA) अंकित है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अर्ह किया गया है।</p>
4	113640	KISHAN SINGH	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2024 के साथ संलग्न आख्या के अनुसार अभ्यर्थी विज्ञापन अवधि में ओबीसी श्रेणी के अन्तर्गत आता है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अर्ह किया गया है।</p>

SNO	ROLLNO	NAME	Office Note
5	109746	RAKESH SINGH	<p>अनर्हता सूची दिनांक 04.10.2024 के क्रम में अभ्यर्थी को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर EWS प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया था।</p> <p>उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 07.10.2024 के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार अभ्यर्थी विज्ञापन अवधि हेतु EWS श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं करता है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>

2-उक्त के अतिरिक्त कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह'ग') परीक्षा-2023 के सापेक्ष प्राप्त अन्य प्रत्यावेदनों को मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार निस्तारित किया गया है:-

SN	अभ्यर्थी का नाम/रोल न0	कार्यालय टीप
1	2	6
1	नेहा मलिक (अनुक्रमांक-106527)	<p>अभ्यर्थिनी द्वारा प्रत्यावेदन में कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह'ग') परीक्षा-2023 हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रेणी परिवर्तन का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश में बिन्दु-1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु संख्या-5 के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी दावित श्रेणी परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर मा0 आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाना है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>
2	अजय जोशी (अनुक्रमांक-110057)	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 19.09.2024 में कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह'ग') परीक्षा-2023 हेतु भरी गयी वरीयता परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अवगत कराना है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु भराये गये वरीयता प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की गयी है कि उनके द्वारा उल्लेखित पदवार/विभागवार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का अवलोकन करने के पश्चात् विभागवार वरीयता पत्र भरा गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा</p>

SN	अभ्यर्थी का नाम/रोल न०	कार्यालय टीप
1	2	6
		उक्त प्रदान की गयी वरीयता अन्तिम है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा० आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
3	आकाश रौंटा (अनुक्रमांक- 105606)	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2024 में कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह'ग') परीक्षा-2023 के लिए अभिलेख सत्यापन हेतु एक अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या-272 दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लेख है कि निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा० आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
4	भगवती प्रसाद (अनुक्रमांक- 102432)	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2024 में कृषि/उद्यान/पशुपालन विभागों हेतु समेकित (समूह'ग') परीक्षा-2023 के लिए अभिलेख सत्यापन हेतु एक अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या-272 दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लेख है कि निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को मा० आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव